संपत्ति बताएं नहीं तो वेतन बंद

अफसरों और कर्मचारियों को 28 फरवरी तक हर हाल में देना होगा कमाई का हिसाब

हिन्दुस्तान ब्यूरो

पटना

संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को फरवरी का वेतन नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि हर हाल में अधिकारियों और कर्मचारियों को यह ब्योरा 28 फरवरी तक दे देना है।

इस जद में जिले में पदस्थापित कर्मचारियों के साथ भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को भी ले लिया गया है। सिर्फ चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को ही संपत्ति का ब्योरा देने से अलग रखा गया है।

फरमान

- कर्मचारी से लेकर आईपीएस और आईएफएस भी जद में
- चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को नहीं देना होगा संपत्ति का ब्योरा

अधिकारियों को अपने नाम की संपत्ति के अलावा वैसी संपत्ति का भी ब्योरा देना होगा जिसे उन्होंने पत्नी या किसी संबंधी और दोस्त के नाम पर अर्जित की हो। उन्हें पैतृक संपत्ति के अलावा लीज और पट्टे पर ली गई संपत्ति को भी अपने ब्योरे में शामिल करना है। उपहार या दूसरे स्रोतों से प्राप्त संपत्ति का भी खुलासा करना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने साफ कर दिया है कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अपनी कमाई का हिसाब क्रमशः सामान्य प्रशासन, गृह तथा पर्यावरण और वन विभाग को देंगे। शेष सभी पदाधिकारी अपने नियंत्री पदाधिकारी को ब्योरा सौंपेंगे। सरकार ने लगभग 12 हजार निकासी और व्ययन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे फरवरी माह का वेतन निकासी आदेश जारी करने के पहले यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्योरा दे दिया है। यह भी देखना है कि दी गई विवरणी सरकार द्वारा जारी फॉर्मेट में है या नहीं।